A 6/1

न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री अरूण कुमार पुरोहित आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या 33/2011

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
विकास अधिकारी पंचायत समिति,बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत गागरिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गागरिया 2.करीम खां पुत्र शेर खां जाति मुसलमान निवासी गागरिया स्टेशन तहसील, रामसर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 61 दिनांक 20.08.2004 जो सरपंच ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम से जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. श्री भैराराम पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति,बाड़मेर प्रार्थी की ओर से ।
2. विप्रार्थी संख्या 01 व 02 एक तरफा

निर्णय दिनांक 27.02.2012

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी भूखण्ड का पट्टा संख्या 61 दिनांक 20.08.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी संख्या 02 ने सरपंच ग्राम पंचायत गागरिया के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पंचायत गागरिया की आबादी भूमि पर मेरा कब्जा है जिस पर आवास हेतु विकय विलेख प्रदान कराया जावे। इस पर ग्राम पंचायत,गागरिया ने पत्रावली कायम कर भूखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 02 को नियम 156(1)(क) के तहत भूखण्ड का पट्टा संख्या 61 दिनांक 20.08.2004 को जारी कर दिया । प्रार्थी का यह कथन है कि विप्रार्थी संख्या 02 को नियम 156 के प्रावधानो के विपरित पट्टा पट्टा जारी किया गया है। इसलिये विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त किया जाए।

मूल से मिलान किया गया
सही पाया

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कार्यालय अधीक्षक
कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

6/2

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,विप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत गागरिया से निगराणाधीन रेकर्ड तलब किया। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

4. हमने प्रार्थी के पैराकार पंचायत प्रसार अधिकारी,बाड़मेर की बहस सुनी। प्रार्थी के पैरोकार का यह तर्क है कि ग्राम पंचायत गागरिया ने विप्रार्थी संख्या 02 को नियम 156(1)(क) के तहत पट्टा जारी किया गया है इस नियम के तहत आपसी बातचीत द्वारा भूमि का आवंटन नीलामी प्रकिया अपनाकर पूर्ण राशि जमा कर पट्टा जारी करने का प्रावधान है मगर इस नियम में निर्धारित प्रकिया अपनाये बिना जारी किया गया है। उन्होने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा के बदले विकास शुल्क के नाम पर 01/–रूपया के हिसाब से वसूल किये गये है जबकि निर्धारित आवासीय हेतु निर्धारित दर 35/– रूपये के हिसाब से राशि वसूल कर पट्टा जारी करना चाहिये। इस मामले में निधि अंकक्षण विभाग राजस्थान द्वारा आडिट रिपोर्ट 2004–2005 में पैरा संख्या 13 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा बरती गई अनियमितता के फलस्वरूप बकाया राशि हेतु नोटिस देने के उपंरात राशि जमा नहीं करवाई गई है। ग्राम पंचायत गागरिया ने विप्रार्थी से कम राशि लेकर नियम 156 के प्रावधानो के विपरित पट्टा जारी किया गया है जिसे निरस्त किया जाए।

5. हमने प्रार्थी के पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। पत्रावली व ग्राम पंचायत गागरिया से प्राप्त रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एंव विश्लेषण किया। विप्रार्थी संख्या 02 ने सरपंच ग्राम पंचायत गागरिया को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। यह आवेदन पत्र किस तारीख को लिखा गया व किस तारीख को सरपंच के समक्ष पेश किया, प्रस्तुतीकरण की तारीख अंकित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के खर्च के 25–रूपये की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/– जमा कराने चाहिये। ग्राम पंचायत गागरिया की पत्रावली में इस मामले में विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा राशि जमा कराने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। एक नजरी नक्शा रेकर्ड पर अवश्य उपलब्ध है। यह नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचों की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है। जो

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मूल से मिलान किया गया
सही पाया

कार्यालय अतिरिक्त
कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

A 6/3

इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लॉज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगीं। पत्रावली पर मौका रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध है मगर मौका निरीक्षण रिपोर्ट में भूखण्ड पर विप्रार्थी का कब्जा के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अन्तिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्ररूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आंमत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थीं। इस मामले में नोटिस जारी किया गया है मगर नोटिस की प्रतियां किस–किस स्थान पर चस्पा की गयी है इसका अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत ने विप्रार्थी संख्या 02 को यह पट्टा नियम 156(1)(क) के तहत जारी करना बताया है। नियम 156(1) के तहत प्राइवेट बातचीत द्वारा भूमि का विकय करने का प्रावधान है एंव उप नियम (क) अनुसार पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राइवेट बातचीत के द्वारा विकय के जरिये अंतरित कर सकेगी जहॉ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती है उप नियम (ख) अनुसार जहॉ कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलाम उस भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली में इस तरह की कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है। नियम 156(2) अनुसार किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विधमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जाएगी। ग्राम पचायत गागरिया ने विप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा की राशि 01/– प्रति वर्ग फीट की दर से वसूल कर जारी किया गया। जबकि इस नियम के तहत निर्धारित आवासीय दर 35/– प्रति वर्ग फीट थी। इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा हेतु आवासीय दर 35 रूपये से 43750/–कीमत बनती है। इस राशि की वसूली हेतु प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को नोटिस देने के उपरान्त भी वसूली राशि जमा नहीं करवाई है। ग्राम पंचायत गागरिया ने नियम 156 की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि नियम 145 से 156 की पूर्ण पालना नहीं की गयी है एंव निर्धारित प्रकिया को अपनाऐं एंव जॉच किये बिना ही ग्राम पंचायत गागरिया ने विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मूल से मिलान किया गया
सही पाया

कार्यालय अधीक्षक
कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

6/4

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 करीम खां के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 61 दिनांक 20.08.2004 को निरस्त किया जाता है।

(अरूण कुमार पुरोहित)
अपर कलक्टर बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 27.02.2012 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रतिलिपि
कार्यालय अधीक्षक
कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मूल से मिलान किया गया
सही पाया